(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।,धारा-3, उपधारा **(i)** में प्रकाशित)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक, 16 अप्रैल, 2004

अधिसूचना

सा.का.नि. 265(अ).- केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप धारा (2) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिए अपील प्राधिकारी विहित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है । अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकारी को अपील, नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**-(1) इन नियमों में, जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;-
(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. '' अपील प्राधिकारी.- धारा 127 के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अपील प्राधिकारी का गठन करेगी जो ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगा कि ऐसे व्यक्तियों में से एक वयक्ति के पास विद्युत प्रभारों के निर्धारण से संबंधित विषयों का ज्ञान होगा और उनमें से कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत प्रदायकर्ता की क्षेत्रीय अधिकारिता के कार्यो से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगा'' ।

[फा.सं. 23/63/2003-आर एंड आर]

(अजय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार